

आ
इ
में
जा
श्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, शिव
(पीठासीन अधिकारी श्री यक्ष चौधरी, IAS)

राजस्व वाद संख्या 164 / 2023

अन्तर्गत धारा 53, 188 RT Act.

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
चौखाराम बनाम अनाराम जाति जाट, निवासी माताजी की भाखरी तहसील शिव, जिला बाड़मेर		1. डूंगराराम पुत्र अनाराम 2. देवाराम पुत्र नैनाराम 3. चतरुदेवी पत्नी रावताराम 4. खेताराम पुत्र नैनाराम 5. नेनुदेवी पत्नी नैनाराम 6. नाबालिग मगाराम पुत्र रावताराम सरक्षक चतरुदेवी जाति जाट, निवासी माताजी की भाखरी तहसील शिव, जिला बाड़मेर 7. तहसीलदार शिव

उपस्थित :- अधिवक्ता वादी - श्री जेठाराम कुमावत
अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 - श्री बालाराम गोदारा।

-:: निर्णय ::-

दिनांक : 06.10.2025

उभयपक्ष अधिवक्ता को विभाजन प्रस्ताव पर सुना एवं पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया गया। विभाजन प्रस्ताव न्यायालय द्वारा जारी प्राथमिक डिक्री के अनुसार तैयार किया गया है तथा उभयपक्ष अधिवक्ता द्वारा तहसीलदार शिव से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार वादग्रस्त भूमि विभाजित किये जाने में अपनी सहमति व्यक्त की गई है। अतः तहसीलदार शिव से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव न्यायालय द्वारा जारी प्राथमिक डिक्री अनुसार होने एवं उभयपक्ष अधिवक्ता को स्वीकार होने से विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

लिहाजा माफिक विभाजन प्रस्ताव अनुसार वाद स्वीकार किया जाकर तहसील शिव, पटवार मण्डल भीयाड के ग्राम माताजी की भाखरी के खेत खसरा नम्बर 798, 851, 1223/793 रकबा क्रमशः 0.8822, 5.5037, 2.4848 हैक्टेयर भूमि निम्नानुसार पक्षकारान् के नाम के आगे अंकित मुताबिक पृथक खातेदारी में घोषित की जाती है -

क्र.स	नाम खातेदार	राजस्व ग्राम	खसरा नम्बर	रकबा (हैक्ट. में)	किस्म	लगान	बरग
1	चौखाराम पुत्र अनाराम जाति जाट निवासी माताजी की भाखरी	माताजी की भाखरी	851 798 1223/793 3	1.9201 0.2085 0.8283 2.9569	बा.दो. बा.दो. बा.दो.	- - -	हरा
2	डूंगराराम पुत्र अनाराम जाति जाट निवासी माताजी की भाखरी	माताजी की भाखरी	851 798 1223/793 3	1.9201 0.2085 0.8283 2.9569	बा.दो. बा.दो. बा.दो.	- - -	लाल
3	खेताराम 4/15, देवाराम 4/15 पि. नैनाराम, नैनुदेवी पत्नी नैनाराम 1/5, चतरुदेवी पत्नी रावताराम 2/15, मगाराम (नाबालिग) पुत्र रावताराम 2/15 जाति जाट निवासी माताजी की भाखरी	माताजी की भाखरी	851 798 1223/793 3	1.6635 0.4652 0.8282 2.9569	बा.दो. बा.दो. बा.दो.	- - -	बैंगनी

तहसीलदार शिव को इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करने एवं नक्शा ट्रेस में प्रस्ताव अनुसार परिवर्तन सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते हैं। विभाजन प्रस्ताव अनुसार पक्षकारों को बराबर हिस्सा मिल रहा है। बैंक हित उक्त निर्णय से अप्रभावित रहेंगे। विभाजन प्रस्ताव के संलग्न नक्शा निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। तदनुसार डिक्री पचा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 06.10.2025 सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
शिव (बाड़मेर)

सहायक कलक्टर
(SDO) शिव
शिव (बाड़मेर)